न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती रेनू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद:- 1/49

तारीख रज्जू:- 09/05/2019

01- गिर्राज पुत्र श्री मन्या बैरवा उम्र करीब 45 साल निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

— वादी

बनाम

01- बलवीर वर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप वर्मा जाति जाटव निवासी ग्राम अलापुर तहसील व जिला अलवर

02- डालचन्द पुत्र स्व० श्री मन्या जाति बैरवा	निवासियान ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर
03- दीपचन्द पुत्र स्व० " " "	
04- शारदा बाई पुत्री स्व० " " "	
05- सूरजबाई पत्नि स्व० " " "	
06- हीरादेवी पुत्री स्व० " " "	

— असल प्रतिवादीगण

07- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर

— भूमिधारी तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

———x———x———x———

-: निर्णय :-

दिनांक: 22/1/21

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्त० अधिनियम-1955 का पेश किया। जिसका सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 हे० वाके ग्राम खेडका तहसील अलवर में स्थित है। जिसमें मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 [illegible] का 19/480, डालचन्द का 5/24, दीपचन्द का 19/1[illegible] बल[illegible] का 19/160 शारदा बाई का 19/120, [illegible] का 19/120 हिस्सा है। [illegible] मुश्तर्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे [illegible] अब संयुक्त रूप में काश्त करना दुस्वार हो गया है। प्रतिवादीगण अत आराजी को खुर्दबुर्द करने व वादी की आराजी पर लट्ठ के बल पर कब्जा करने की कोशिश में है व कच्चा पक्का

—लगातार

सहायक कलक्टर अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निर्माण करने की जुस्तजू में है। दिनांक 24/04/2019 को वादी को प्रतिवादीगण ने धमकी दी बिना बटवारा किये उक्त आराजी में प्लाट काटेंगे व निर्माण कार्य करेगें व उक्त आराजी को बेच कर रहेगे। इस कारण वादी अपनी आराजी के हिस्से का तकासमा कराना चाहता है एवं अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी आराजी तकसीम की जाकर अलग से खाता एवं लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे, बेचान ना करे, निर्माण ना करे, नींव ना खोदे जबरन कब्जा ना करे एवं रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 लगा०7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 1/7/19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 है० वाके ग्राम खेडका में प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा 19/160 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.07.17 को वादी गिर्राज पुत्र मन्या बैरवा से 2,30,000/- रूपये में खरीद की है जिस बयनामे के आधार पर इंतकाल संख्या 306 दिनांक 21/08/2017 को प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज होकर मंजूर हो चुका है। मिन प्रतिवादी का मौके पर कब्जा है एवं खरीदशुदा आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या-1 की खरीदशुदा आराजी 19/160 हिस्सा जो रोड के लगते हुए है जिसके पूर्व, उत्तर दिशा में मिन प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा पक्की दीवार निर्मित की हुई है एवं पूर्वी-उत्तरी कोने में कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र रखने के लिए एवं कृषि की सुरक्षा के लिए रिहायशी वास्ते एक कमरा बनाया हुआ है, जो मौके पर मौजूद है। खरीदशुदा भूमि का निकास कर दक्षिण दिशा में स्थित अलापुर रोड पर है। न्यायालय श्रीमान विभाजन करना चाहे तो जिस जगह जो खातेदार हिस्से अनुसार काबिज है उसी अनुसार पैमाइश कराई जाकर कुर्रेजात कायम करके प्रत्येक खातेदार का खाता कायम [illegible] दिलाया जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण [illegible] उभय पक्ष की बहस सुनी [illegible] 2019 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 हैक्टर वाके ग्राम खेडका तहसील अलवर मे [illegible] पर उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के

-लगातार

सहायक कलक्टर अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर रिकार्ड, मौके, कब्जे व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रदर्शित करते हुऐ तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगाई गई।

तहसीलदार अलवर ने क्रमांक: एल.आर./20/3570 दिनांक 17/12/2020 को कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये गये। मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सं. 2072-74 के खाता संख्या 100 आराजी ख०न० 109/0.91 है० वाके ग्राम खेडका "सुखबाई पत्नि मन्या हि० 19/120, दीपचन्द पुत्र मन्या हि० 19/120, शारदा बाई, हीरादेवी पुत्रियान मन्या हि० 19/60, गिर्राज पुत्र मन्या हि० 19/480, बलवीर वर्मा s/o रामस्वरूप वर्मा हि० 19/160, डालचन्द पुत्र धन्नालाल हिस्सा 5/24 जाति बैरवा सा० देह खातेदार" दर्ज रिकार्ड है।

मुताबिक रिकार्ड व मौका उपरोक्त खातेदारान की प्रस्तावित कुर्रेजात निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	खातेदार का विवरण	ख०न०
1	सुखबाई पत्नि मन्या हि० 76/323 दीपचन्द पुत्र मन्या हि० 76/323 गिर्राज पुत्र मन्या हि० 19/323 शारदा बाई हीरा देवी पुत्रियान मन्या हि० 152/323 जाति बैरवा सा० देह खातेदार	109 मि० / 0.6124
2.	बलवीर वर्मा s/o रामस्वरूप वर्मा जाति बैरवा सा० देह खातेदार	109 मि० / 0.1080
3.	डालचन्द पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा सा० देह खातेदार	109 मि० / 0.1896

प्रकरण में अन्तिम बहस हेतु आवाज दिलाई गई। वकील वादी उपस्थित नहीं। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किये जा चुके है। ऐसी स्थिति/स्टेज को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई। वकील प्र[illegible]1 का कथन है कि तहसीलदार द्वा[illegible] डिग्री किये जाने में प्रतिव[illegible]त मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा [illegible] किया जावे।

पत्रावली व राजस्व रिका[illegible] की नकलात व तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये कुर्रेजात रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या-1 के वकील की बहस का

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मनन किया गया। तो अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तहसीलदार अलवर द्वारा भिजवाये गये कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है अतः आदेश दिये जाते है कि आराजी ख०न० 109 मि० रकबा 0.6124 का सुखबाई पत्नि मन्या हि० 76/323, दीपचन्द पुत्र मन्या हि० 76/323, गिराज पुत्र मन्या हि० 19/323, शारदाबाई हीरा देवी पुत्रियान मन्या हि० 152/323 जाति बैरवा व ख०न० 109 मि० रकबा 0.1080 बलबीर वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा जाति बैरवा तथा ख०न० 109 मि० रकबा 0.1896 का डालचन्द पुत्र धन्ना लाल जाति बैरवा वाके ग्राम खेड़ा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाकर खाते अलग-अलग कायम किये जावे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पेश करे।

निर्णय आज दि० 22/01/2021 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर (राज०)

(रेनू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेनू मीना, आर०ए०एस०

01– गिर्राज पुत्र श्री मन्या बैरवा बैरवा उम्र करीब 45 साल निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

–वादी

बनाम

01– बलवीर वर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाटव निवासी ग्राम अलापुर तहसील व जिला अलवर

02– डालचन्द पुत्र स्व0 श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

03– दीपचन्द पुत्र स्व0 श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

04– शारदा बाई पुत्री स्व0 श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

05– सूख बाई पुत्री स्व0 श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

06– हीरा देवी पुत्री स्व0 श्री मन्या जाति बैरवा निवासियान ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

07– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर, तहसील व जिला अलवर

–भूमिधारी तकमीली प्रतिवादी

दावा बाबत् धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर :– 1/49 तारीख रज्जू 09.05.2019
निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

वादी की ओर से श्री XXXXX, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री श्योरामसिंह नरूका अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को सहायक कलक्टर, अलवर के समुख अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि आराजी ख० न० 109 मि० रकबा 0.6124 का सूखबाई पत्नि मन्या हि० 76/323, दीपचन्द पुत्र मन्या हि० 76/323, गिर्राज पुत्र मन्या हि० 19/323, शारदाबाई, हीरादेवी पुत्रियान मन्या हि० 152/323 जाति बैरवा व ख० न० 109 मि० रकबा 0.1080 का बलवीर वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा जाति बैरवा तथा ख० न० 109 मि० रकबा 0.1896 का [illegible] पुत्र [illegible]नालाल जाति बैरवा वाके ग्राम खेडका खातेदार काश्तकार धोषित किये जाते है [illegible] प्र[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाकर खाते अलग–अलग कायम किये जावे।

यह आज तारीख 22.01.20[illegible] को मेरे हस्ताक्षर [illegible] न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर ★ सत्यमेव जयते ★ अलवर (राज0)

सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner